



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/2020/60

भोपाल दिनांक 28/03/2020

प्रति

कलेक्टर
समस्ती जिले
म0प्र0

सीएम राइज स्कूल
परिपत्र- 01

विषय:-सी. एम. राइज अंतर्गत विद्यालयों का चयन करने बाबत।

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा के लोक व्यापीकरण एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदाय करने हेतु मूल रूप में विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भी गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं भविष्य में उत्कृष्ट नागरिकों के विकास हेतु शिक्षा एवं उपलब्ध संसाधनों को परिणाममूलक बनाया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में संचालित विद्यालयों में से 10,000 विद्यालयों को सर्व सुविधायुक्त विद्यालयों के रूप में विकसित करने लक्ष्य रखा गया है।

2/- सी.एम.राइज स्कूल विकसित करने के उद्देश्य:-

- 2.1 तर्जनी से लेकर कक्षा 12वीं तक के समग्र/एकीकृत विद्यालय संचालित कर बच्चों की ट्राजीशत दर को बढ़ाना तथा ड्रॉपआउट दर को कम करना।
- 2.2 विद्यार्थियों में आधुनिक 21 वीं शताब्दी की क्षमताओं / दक्षताओं को विकसित करने हेतु विद्यालयों को आधुनिक उपकरणों, प्राविधियों और तकनीक से लैस करना।
- 2.3 बच्चों के समग्र विकास के लिये खेलकूद, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक आदि पाठ्येतर गतिविधियों हेतु बड़े विद्यालयों को विकसित कर उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना।
- 2.4 सी.एम.राइज स्कूल में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में वृद्धि कर उनका समुचित उपयोग करते हुए पालकों में अशामकीय विद्यालयों के प्रति बड़ रहे आकर्षण को रोकना।
- 2.5 तर्जनी से लेकर कक्षा 12वीं तक हिंदी माध्यम के माथ - माथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएँ संचालित करना।
- 2.6 सी.एम.राइज शालाओं को सी.बी.एम.ई.मान्यता शाला के रूप में परिचर्चित करना।
- 2.7 छात्रों के सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाना।

3/- सी.एम. राइज स्कूल हेतु चिन्हांकन के मापदण्ड :

राज्य स्तर से स्कूल शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विद्यालयों के यू-डार्ट्स एवं अन्य स्रोतों से उपलब्ध डाटा के विघ्नेषण के आधार पर प्रति जनशिक्षा 5 विद्यालयों का चिन्हांकन निम्न मापदण्डों के आधार पर किया गया है:

आर.कि.त्रिवेदी
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

आयुक्त आदिवासी विकास,परियोजना अधिकारी (शहरी विकास),जिला परियोजना समन्वयक मदस्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी मदस्य सचिव रहेंगे। समिति के द्वारा प्रति जनशिक्षा केन्द्र अधिकतम (ग्रंटिंग के आधार पर) चार विद्यालयों का चयन किया जायेगा।

5.3 जिला समिति (कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति) में अनुमोदित जिले की एकजाई सूची पर जिला पंचायत की शिक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जिला योजना समिति में अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5.4 जिला शिक्षा अधिकारी जिला योजना समिति में अनुमोदित सूची को फॉर्म पर अपलोड करेंगे।

6/- सम्पूर्ण सत्यापन एवं अनुमोदन का कार्य निश्चित समय-सीमा में कराये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे। इसके लिए उत्तरदायित्व के निर्धारण सहित समय सीमा में कार्य संचालन हेतु श्रेक लिस्ट सलसल है।

वृषया सी.एम. राइज थाप्ताओं के चिन्दाकन की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये कार्य समय सीमा में करवाने का कष्ट करें।

(लोकेश कुमार जाटव)

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

गोपान दिनांक 28/09/22

पृ0क्र.मात्र/राशिक/ईएमडआर/2020/61

प्रतिनिधि:-

1. निज सचिव माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 शामिल।
3. प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग म0प्र0 शामिल।
4. आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय म0प्र0 भापाल।
5. संभागीय आयुक्त राजस्व समस्त संभाग म0प्र0।
6. सयुक्त संचालक लोकशिक्षण संभाग समस्त संभाग म0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले म0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग समस्त जिले को सूचनार्थ एवं समय सीमा में कार्यवाही हेतु आदेशित।
9. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले म0प्र0 को सूचनार्थ एवं समय सीमा में कार्यवाही हेतु आदेशित।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

आर.क.त्रिवेदी
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

- 3.1 भविष्य में न्यूनतम 1000 बच्चों के लिए आवश्यकता अनुसार कक्षा कक्ष, खेल मैदान, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब आदि निर्मित किये जाने हेतु भूमि की उपलब्धता।
- 3.2 विद्यालय का अन्य गर्मीपन्थ वमाहटों के केंद्र में स्थित होना जिसमें ममीपन्थ वमाहटों के बच्चों को सी.एम.राइज-स्कूल तक आने में कम दूरी तय करना पड़े एवं परिवहन सुविधा का कम से कम उपयोग करना पड़े।
- 3.3 विद्यालय का एफ़ीपू.न (EPES) होना।
- 3.4 विद्यालय में कक्षा बंधों की संख्या।
- 3.5 विद्यालय में आई.सी.टी की उपलब्धता।
- 3.6 विद्यालय का नामांकन।

4/- सी.एम.राइज स्कूल के भौतिक मत्यापन की प्रक्रिया-

केंडिना-3 अनुसार विद्यालयों का चयन यू-डारम डाटा के आधार पर किया गया है, अतएव इनका भौतिक मत्यापन कराया जाना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र के अधिकतम 4 विद्यालय एवं प्रदेश के कुल 10,000 विद्यालयों को वरीयता के आधार पर अंतिम रूप में सी.एम.राइज स्कूल हेतु चयनित किया जा सके। अतः भौतिक मत्यापन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये।

- 4.1 राज्य स्तर से प्रति जनशिक्षा केंद्र से 5 पैसे विद्यालयों का चयन किया गया है, जिन्हें सर्वसुविधायुक्त आदर्श विद्यालय व राण मंत्रिकालय वरत की संभावना है।
- 4.2 विविध चिन्हित विद्यालयों की सूची विमर्श पोर्टल पर डीईओ के लॉगइन पर अपलोड की गई है।
- 4.3 सूची अनुसार विद्यालयों का भौतिक मत्यापन संकुल प्राचार्य एवं जन शिक्षक के माध्यम से संयुक्त रूप से कराया जायेगा।
- 4.4 भौतिक मत्यापन के दौरान चिन्हित विद्यालयों की सूची के अनिश्चित अन्य विद्यालय का विकल्प होने पर मत्यापन दल वेदना विद्यालय को प्रस्तावित कर सकता है।
- 4.5 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड खोत समन्वयक संयुक्त रूप से विकासखण्ड के 10 प्रतिशत विद्यालयों का भौतिक मत्यापन कर क्रॉस चेक करेंगे।
- 4.6 जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक अपने स्तर से प्रत्येक विकासखण्ड के 5-5 विद्यालयों को क्रॉस चेक करेंगे।
- 4.7 मत्यापन प्रक्रिया पर प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड खोत समन्वयक, संकुल प्राचार्य एवं जनशिक्षकों को राज्य स्तरीय सी.एम.राइज टीम द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जायेगा।

5/- सी.एम.राइज स्कूल के चयन का अनुमोदन:-

- 5.1 भौतिक मत्यापन एवं जिले से क्रॉस चेक उपरान्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व विकासखण्ड खोत समन्वयक विकासखण्ड के सी.एम.राइज स्कूल की एकजाई सूची पर जनपद पंचायत की शिक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- 5.2 जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखण्डों से प्राप्त अनुमोदित सूची पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक